



2026:AHC: 60109

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 5413/2026

अब्दुल अहद

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मोहम्मद जफर याब खान, शहरोज़ खान

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद जफर याब खान के साथ श्री शहरोज़ खान, और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री बी.पी. मौर्य को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से, विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना कपिलवस्तु, जिला सिद्धार्थ नगर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 85 वर्ष 2025, भा.द.सं. की धारा 419, 420, 34 और आई.टी. अधिनियम की धारा 66-डी के अंतर्गत उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस वाद में झूठा फँसाया गया है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का नाम सह-अभियुक्त शहजाद खान के संस्वीकृति कथन में सामने आया है, जिसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 5779 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 10.03.2026 के माध्यम से पहले ही नियमित जमानत दे दी गई है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अन्य सह-अभियुक्त परवेज और मो. वसीम को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 5068 वर्ष 2026 और 5596 वर्ष 2026 में पारित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश दिनांक 19.02.2026 और 09.03.2026 के माध्यम से पहले ही नियमित जमानत दे दी गई है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को उसके बैंक खाते में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। 17.12.2025 से कारागार में है, आवेदक यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में वादों के भारी लंबन के मददेनजर, विचारण के जल्द निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4- इसके विपरीत विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और उनके द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्ति साइबर धोखाधड़ी में संलिप्त रहे हैं।

5- आवेदक का नाम सह-अभियुक्त शहजाद खान के संस्वीकृति कथन में सामने आया है, जिसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 5779 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 10.03.2026 के माध्यम से पहले ही नियमित जमानत दे दी गई है और अन्य सह-अभियुक्त परवेज और मो. वसीम को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 5068 वर्ष 2026 और 5596 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2026 और 09.03.2026 के माध्यम से पहले ही नियमित जमानत दे दी गई है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को उसके बैंक खाते में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। आवेदक 17.12.2025 से जेल में है।

6- तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करने और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को भी ध्यान में रखने पर और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7- उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक- **अब्दुल अहद** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें न ही डराएगा-धमकाएगा।

(iii) आवेदक (i) वाद शुरू होने, (ii) आरोप विरचित करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करेगा कि जब विचारण न्यायालय में साक्षीगण उपस्थित होंगे तो, वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

8- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9- यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजन तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से वाद के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में अन्वय नहीं किया जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

23 मार्च, 2026

आरकेएम

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)